संख्या: 07/2021/ 124 /तीस-1-2021

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2021

विषय: बस स्टेशन महाराजगंज का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-818बी/डीए/पूर्व/20-17जेईटी/वि0/17-18, दिनांक 27.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महाराजगंज के बस स्टेशन का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नामित कार्यदायी संस्था से परिवहन निगम द्वारा धनराशि रू0 782.68 लाख की लागत का प्रारम्भिक आगणन शासन को उपलब्ध कराया है। उक्त प्रारम्भिक आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 682.06 लाख प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु आंकलित की गयी है। उक्त बस स्टेशन के उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य जनपद-महाराजगंज के बस स्टेशन का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कुल लागत रू0 682.06 लाख (रूपये छः करोड़ बयासी लाख छः हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में व्यय हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 110.00 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं तदनुवर्ती शासनादेशों में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिया जाय।
(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(12) प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत जनरेटर सेट, आंतरिक एवं बाह्य, साइनेज की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुये लागत का परीक्षण प्रभाग द्वारा किया गया है।अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जाय। परिवहन निगम द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है।

(13) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-02 /दस-9-2021, दिनांक 01 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या: 07/2021/124(1)/तीस-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं परिषद, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 आवास एवं परिषद, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गाई फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
विनोद कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।